

## परिपत्र

समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/परिसर निदेशक/मुख्य नियन्ता/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सिस्टम मैनेजर/समन्वयक/संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अधिशासी अभियंता/सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता/अनुभागीय अधिकारी/निजी सचिव/प्रभारी अधिकारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" के अंतर्गत आपके विभाग/अनुभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं की प्रतिलिपि बिना संलग्नकों के/बिना सू0अ0प्र0 के संदर्भ के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को प्रेषित की जा रही हैं, जिसके अभाव में संदर्भित मुख्य पत्रावली (सू0अ0प्र0) के सुप्रबंधन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है, अतः प्रबन्धन नहीं हो पाता है।

अतः समस्त सम्बन्धितों को सानुरोध निर्देशित किया जाता है कि कृपया "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" के अंतर्गत सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की प्रेषित प्रतिलिपि में यदि संलग्नक है, तो संलग्नक युक्त/सू0अ0प्र0 के संदर्भ सहित सूचनायें प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचिव  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।

पत्रांक: कुलसचिव कार्यालय/2020/248/RTI Cell) दिनांक: 10/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उक्त समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर परिचालित करेंगे।
5. नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी